अध्याय 9

औद्योगिक विकास

दिल्ली में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र से संचालित होता है और यह आय में तेज वृद्धि का आधार उपलब्ध कराता है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापार केंद्र है और यहां व्यापार संवर्द्धन के लिए उत्कृष्ट सार्वजनिक अवसंरचना, ज्ञान आधारित और हाइटेक सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए एक सुचारू वातावरण और संपर्क संचार सुविधाएं हैं। दिल्ली देश के सर्वाधिक सक्रिय वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्रो में है। यहां की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय से लगभग तिगुनी है। दिल्ली एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण भी है, साथ ही यहां गली पटरी की सस्ती दुकानों से लेकर बड़े बड़े ब्रैंड के आलीशान शोरूम सहित खरीदारी के विभिन्न विकल्प भी उपलब्ध हैं।

1. वृद्धि सांख्यिकी

- दिल्ली सतत विकास लक्ष्यों–एसडीजी में देश में अग्रिम वाहक श्रेणी में आता है, यह नीति आयोग– ''एसडीजी इंडिया इंडेक्स˘ एंड डैशबोर्ड 2021–22'' के अनुसार है।
- व्यवसाय सुधार कार्ययोजना स्कीम के अंतर्गत अच्छी प्रगति, यह 2020 में ''उभरता व्यवसाय पारिस्थतकी तंत्र श्रेणी के तहत है।
- दिल्ली नें व्यवसाय सुधार कार्य योजना स्कीम के तहत अच्छी प्रगति की और 2019 में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 12वें स्थान पर रहा है।

2. बुनियादी ढांचा विवरण

- दिल्ली में बुनियादी ढांचा तथा संस्थागत स्थापना का सृजन और पुनर्विकास, दिल्ली राज्य औद्योगित तथा बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शहर के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के जरिये हुआ है।
- दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और चार फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर हैं और राज्य सरकार ने पुनर्विकास के लिए 25 नॉन कंफर्मिंग क्षेत्र अधिसूचित किए हैं।

3. छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार दिल्ली में प्रतिष्ठानों और रोजगार का विकास

3.1 छठी आर्थिक गणना 2013 के अनुसार दिल्ली में कुल 8.75 लाख औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्यरत थे। इनमें से 1.42 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 98.58 प्रतिशत शहरी इलाकों में थे। छठी आर्थिक गणना के अनुसार वार्षिक विकास दर 1.94 प्रतिशत दर्ज की गयी और 2005 में हुई पांचवीं आर्थिक गणना के मुकाबले छठी आर्थिक गणना में 1.18 लाख प्रतिष्ठानों की वृद्धि हुई। कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 54.55 प्रतिशत ओन एकाउंट उद्यम (ओएई) थे और 45.45 प्रतिशत प्रतिष्ठान में कम से कम एक बाहर से पारिश्रमिक पर लिया गया कामगार {प्रतिष्ठान (एच)} था। 30.20 लाख लोग 8.75 लाख प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे थे और प्रत्येक प्रतिष्ठान में औसतन 3.45 कर्मचारी थे। कुल

कर्मचारियों में से 0.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे और 99.1 प्रतिशत दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कुल प्रतिष्ठानों में से 8.05 प्रतिशत का प्रबंधन महिला उद्यमियों के पास था।

3.2 निम्नांकित चार्ट 9.1 में पांचवीं (2006) और छठी (2013) आर्थिक गणना के अनुसार 2005–13 के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इनमें नियुक्त कामगारों की संख्या दर्शायी गयी है:

चार्ट 9.1
प्रतिष्ठानों और रोजगार में वृद्धि

(लाख में)

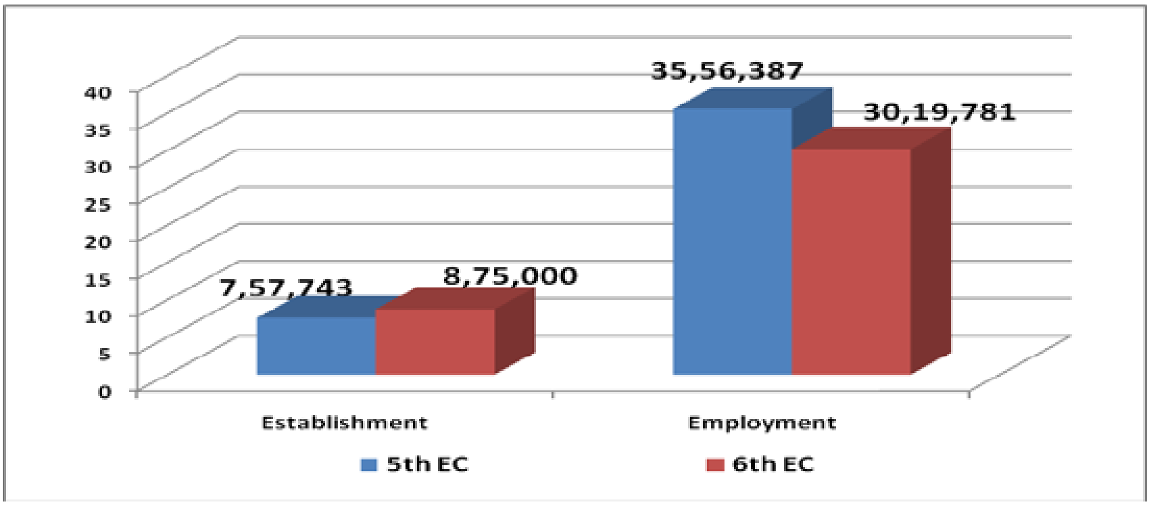

उपर्युक्त चार्ट स्पष्ट करता है कि पांचवीं से छठी आर्थिक गणना की अवधि के दौरान हालांकि प्रतिष्ठानों की संख्या 7,57,743 से बढ़कर 8,75,000 हो गई है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या 35,56,387 से घटकर 30,19,781 पर आ गई है। ऐसा सख्त प्रदूषण नियमों सहित अन्य अनेक कारणों से बड़े पैमाने पर रोजगार वाले प्रतिष्ठान दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों/राज्यों में चले जाने से हुआ है।

3.3 **छठी आर्थिक गणना के अनुसार प्रतिष्ठानों और उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा निम्नांकित है।**

विवरण 9.1

जिले	प्रतिष्ठान की संख्या	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
मध्य	1,50,671	5,99,058
पश्चिम	1,06,726	3,13,574
उत्तर–पश्चिम	93,297	2,86,189
उत्तर–पूर्व	86,597	1,83,313
पूर्व	80,061	2,15,979
दक्षिण–पूर्व	75,049	3,52,562
उत्तर	73,724	3,18,960
शाहदरा	71,738	2,29,663
दक्षिण	57,126	1,45,304
दक्षिण–पश्चिम	42,166	1,05,954
नई दिल्ली	38,153	2,69,225
कुल	**8,75,308**	**30,19,781**

विवरण 9.2
मौजूदा मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	द्वितीयक क्षेत्र प्रतिशत हिस्सेदारी	तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
2011-12	3.49	13.09	83.42
2012-13	2.93	14.17	82.90
2013-14	3.29	14.07	82.64
2014-15	2.79	12.26	84.95
2015-16	2.09	13.62	84.29
2016-17	1.70	13.48	84.82
2017-18	1.67	13.80	84.53
2018-19	2.08	13.45	84.47
2019-20	1.95	12.54	85.51
2020-21 (तीसरा स.अ.)	1.89	12.73	85.38
2021-22 (दूसरा स.अ.)	1-67	13.59	84.78
2022-23 (पहला स.अ.)	1.61	13.20	85.19
2023-24 (अ.अ.)	1.58	13.02	85.40

टिप्पणी : (तीसरा स.अ.)– तृतीय संशोधित अनुमान, (दूसरा स.अ.) – दूसरा संशोधित अनुमान, (पहला स.अ.) – प्रथम संशोधित अनुमान, (अ.अ.)अग्रिम अनुमान

3.4 वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 के लिए मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए का अग्रिम अनुमान और पहला संशोधित अनुमान स्पष्ट करता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (फसल, पशुधन, वानिकी और लकड़ी, मत्स्य पालन, खदान और उत्खनन) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 3.49 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में दोनों वर्षों में कम होकर क्रमशः 1.61 प्रतिशत और 1.58 प्रतिशत रह गया है।

3.5 मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए स्पष्ट करता है कि द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण) का योगदान आधार वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से घटकर 2022–23 (अग्रिम अनुमान) में 13.20 प्रतिशत और 2023-24 में 13.02 प्रतिशत हो गया है।

3.6 अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र (व्यापार, होटल और रेस्त्रा, रेलवे, परिहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य और अन्य सेवाएं) के योगदान में मामूली वृद्धि हो रही है। मौजूदा मूल्यों पर जीएसवीए दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान आधार वर्ष 2011–12 में 83.42 प्रतिशत था जो वर्ष 2022–23 (पहला संशोधित अनुमान) के दौरान 85.19 प्रतिशत और वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में बढ़कर 85.40 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 9.2

राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
(मौजूदा मूल्य पर सकल राज्य मूल्य संवर्धित)

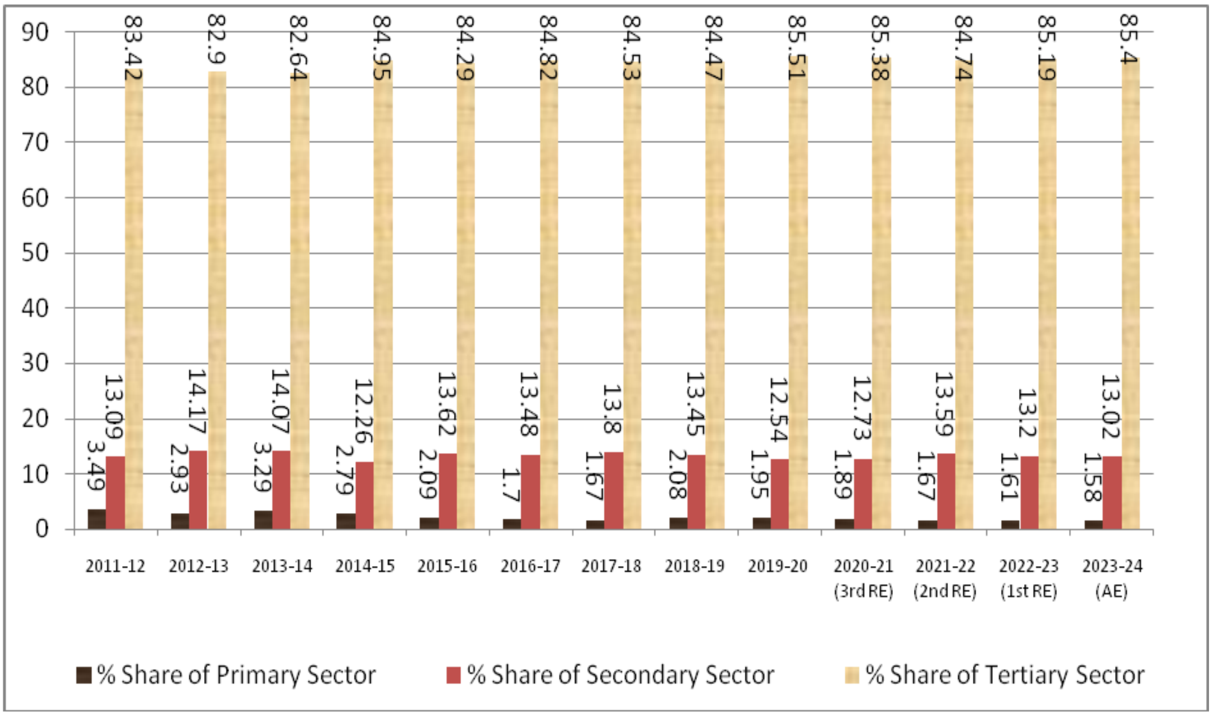

4. विनिर्माण क्षेत्र द्वारा सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में योगदान

4.1 विनिर्माण उपक्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करता है। विनिर्माण से जीएसवीए मौजूदा मूल्यों पर वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 के दौरान क्रमशः 44,014 करोड़ और 45,959 करोड़ रहने का अनुमान है। पूर्व वर्ष के अनुमानों की तुलना में क्रमशः 6.80 प्रतिशत और 4.42 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार नियत मूल्यों पर जीएसवीए वर्ष 2022–23 और वर्ष 2023–24 में क्रमशः 32453 करोड़ रुपए और 33909 करोड़ रुपए है, पूर्व वर्षों की तुलना में इसमें 0.57 प्रतिशत और 4.49 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। अनुमानों के अनुसार मौजूदा मूल्यों पर 2022–23 के लिए एनएसवीए 38,489 करोड़ रुपए है, पिछले वर्ष की तुलना में 7.13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ और नियत मूल्यों पर पिछले वर्ष के मुकाबले 0.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 28335 करोड़ रुपए है। वर्ष 2023–24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार एनएसवीए मौजूदा मूल्यों पर 40033 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष के मुकाबले 4.01 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ और नियत मूल्यों पर यह पिछले वर्ष के मुकाबले 4.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 29564 करोड़ रुपए था।

4.2 विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवंर्धित (जीएसवीए) का विवरण 9. 3 में दर्शाया गया है।

विवरण 9.3

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	विनिर्माण	द्वितीयक क्षेत्र	प्राथमिक मूल्यों पर कुल जीएसवीए	बाजार मूल्य पर कुल जीएसडीपी	विनिर्माण की प्रतिशत हिस्सेदारी		जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
					कुल जीएसवीए	द्वितीयक क्षेत्र का कुल जीएसवीए	
2011-12	18907	39682	303232	343798	6.24	47.65	13.09
2012-13	23350	48498	342588	391388	6.82	48.15	14.17
2013-14	25338	54262	385931	443960	6.57	46.69	14.07
2014-15	23385	53247	434241	494803	5.39	43.92	12.26
2015-16	31195	65194	478782	550804	6.52	47.85	13.62
2016-17	30117	71616	531175	616085	5.67	42.05	13.48
2017-18	30680	80987	586900	677900	5.23	37.88	13.80
2018-19	32192	87160	647839	738389	4.97	36.93	13.45
2019-20	33637	88310	704369	792911	4.78	38.09	12.54
2020-21 (तीसरा स.अ.)	33581	84910	666899	744277	5.04	39.55	12.73
2021-22 (दूसरा स.अ.अ.)	41213	105791	778358	881336	5.29	38.96	13.59
2022-23 (पहला स.अ.)	44014	117510	890285	1014688	4.94	37.46	13.20
2023-24 (अ.अ.)	45959	126897	974397	1107746	4.72	36.22	13.02

स्रोतः डीईएस द्वारा जीएसवीए अनुमान।

टिप्पणी– (तीसरा स.अ.) – तृतीय संशोधित अनुमान, (दूसरा स.अ.) – द्वितीय संशोधित अनुमान, (पहला स. अ.) प्रथम संशोधित अनुमान, (अ.अ.) – अग्रिम अनुमान

4.3 विवरण 9.3 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र से आय वर्ष 2011–12 के 18907 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 45959 करोड़ रुपए हो गई है। जीएसवीए में विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से कम होकर 2023–24 में 4.72 प्रतिशत रह गया है। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 (अ.अ.) में 13.02 प्रतिशत हो गया है।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

दिल्ली में कुल 3,93,877 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हैं। इनमें 3,65,849 सूक्ष्म उद्यम, 25,091 लघु और 2,937 मध्यम उद्यम हैं।

स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. का उद्योग आयुक्त कार्यालय–31.12.2022 तक

6. कार्यशील कारखाने

पिछले 12 वर्षों में दिल्ली में पंजीकृत कारखानों की संख्या और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या के आंकड़े विवरण 9.4 में दिये गये हैं।

विवरण 9.4
कारखानो और उनमें काम करने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या

क्र. सं.	वर्ष	कारखाने	कामगारों की अनुमानित संख्या
1.	2011	8,219	3,78,361
2.	2012	8,557	3,92,270
3.	2013	8,821	4,03,270
4.	2014	8,968	4,16,927
5.	2015	8,954	4,15,278
6.	2016	8,978	4,16,833
7.	2017	9,059	4,20,156
8.	2018	9,121	4,19,578
9.	2019	8,622	4,03,517
10.	2020	8,643	4,04,602
11.	2021	8,613	4,02,733
12.	2022	8,690	4,04,169

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

विवरण 9.4 से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कार्यशील फैक्ट्रियों की संख्या 2011 के 8219 से बढ़कर 2022 में 8690 हो गयी है। इसी तरह इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे कामगारों की अनुमानित संख्या 2011 के 3,78,361 से बढ़कर 2022 में 4,04,169 हो गयी है। दिल्ली की इन फैक्ट्रियों में प्रति फैक्ट्री औसतन 47 व्यक्ति कार्य कर रहे थे।

6.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पर्यावरण संबंधी विभिन्न नियम लागू किये जाने के कारण दिल्ली की कई औद्योगिक इकाईयां सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि या तो ये इकाईयां बंद हो गयी हैं या पड़ोसी राज्यों में चली गयी हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों की अनुमानित संख्या अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ी है, जबकि 2019 में यह कम हो गई है।

6.2 2017 से 2022 के दौरान पंजीकृत कारखानों की उद्योगवार संख्या और उनमें कार्यरत कामगारों का ब्यौरा विवरण 9.5 में दिया गया है।

विवरण 9.5
उद्योगवार पंजीकृत कारखाने और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या

क्र स.	उद्योग	कारखाने					अनुमानित कर्मचारी				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	खाद्य उत्पाद	350	142	141	137	139	21921	8894	8,849	8,598	8,723
2.	पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	53	34	34	36	36	2981	1913	1,913	2,025	2,025
3.	टेक्सटाइल उत्पाद	2008	1519	1,514	1,507	1,490	138788	104978	1,04,738	1,04,209	1,03,033
4.	काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर्स	273	98	97	99	97	10702	3842	3,800	3,880	3,801
5.	कागज और कागज उत्पाद, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और अनुषंगी	795	587	594	595	603	30608	22600	22,940	22,978	23,286
6.	चमड़ा और चमड़ा फर उत्पाद (मरम्मत छोड़ कर)	303	139	140	145	143	13182	6047	6,100	6,318	6,230
7.	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद	699	754	754	754	806	15712	16942	16,942	16,942	18,110
8.	रसायन और रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले को छोड़कर)	290	173	174	172	172	11815	7048	7,100	7,019	7,019
9.	गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	73	11	12	12	12	1002	151	250	250	250
10.	बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग	517	775	770	756	755	7900	11842	11,607	11,396	11,380
11.	धातु उत्पाद और हिस्से पुर्जे मशीनरी और परिवहन उपकरण – इलेक्ट्रिकल उपकरणों सहित मशीन उपकरण	1928	757	760	759	760	76428	30007	30,154	30,115	30,154
12.	विद्युत, गैस और स्ट्रीम वाटर वर्क्स और आपूर्ति	132	195	206	206	206	6896	10187	10,692	10,692	10,692
13.	ईंधन, 47 रसायन, परफ्यूमरी, सिरामिक्स ग्लास में थोक व्यापार	99	0	2	5	7	900	0	105	263	323
14.	लोक प्रशासन और रक्षा सेवाएं	9	47	47	46	46	7655	39976	39,976	39,126	39,126
15.	स्वच्छता सेवाएं	20	31	31	30	27	590	915	915	886	797
16.	पूंजीगत सामान की मरम्मत और मरम्मत सेवाएं	570	219	224	217	238	32387	12441	12,691	12,556	13,100
17.	विविध अनिर्दिष्ट समूह	1002	3141	3,143	3,137	3,153	40111	125734	1,25,830	1,25,480	1,26,120
	कुल	**9121**	**8622**	**8,643**	**8,613**	**8,690**	**419578**	**403517**	**4,04,602**	**4,02,733**	**4,04,169**

स्रोतः श्रम आयुक्त कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

6.3 उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या तीन प्रमुख उद्योग समूहों में पंजीकृत हैं (1) कपड़ा उत्पाद, (2) बुनियादी धातु और मिश्र धातु (3) धातु उत्पाद और कलपूर्जे मशीनरी।

7. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

7.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों अनुसार यदि किसी फैक्टरी में 10 या अधिक श्रमिक काम करते हैं और विद्युत का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (i) के तहत किया जाता है, 20 या इससे अधिक श्रमिकों वाले और विद्युत का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योगों का पंजीकरण अधिनियम की धारा 2एम (ii) के तहत किया जाता है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के लिए किया जाता है।

विवरण 9.6

दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख संकेतक

क्र. सं	प्रमुख संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	पंजीकृत कारखाने (संख्या)	2,928	2,852	2,639	2,459	2,459	2,355
2.	पूंजी						
क	अचल पूंजी	6,532	6,922	6,973	6,630	7,41,082	6,74,927
ख	कार्यशील पूंजी	11,391	9,126	8,990	5,543	5,93,530	6,29,442
	कुल	**17,923**	**16,048**	**15,963**	**12,173**	**1,334,612**	**1,304,369**
3.	रोजगार						
क	कामगार	76,697	74,747	75,172	70,414	74,685	70,845
ख	कामगारों से भिन्न	41,406	39,035	36,604	34,732	35,817	35,589
	कुल	**1,18,103**	**1,13,782**	**1,11,776**	**1,05,146**	**1,10,502**	**1,06,434**
4.	मानव दिवस (लाख में)	355	343	339	319	335	316
	कुल परिलब्धियां (करोड़ रुपये में)	**2,778**	**2,793**	**2,897**	**2,910**	**3,33,505**	**3,42,728**

स्रोतः उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली सांख्यिकीय पुस्तिका

8. औद्योगिक एस्टेट

8.1 औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्रों का परिचालन और रखरखावः–

दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 फ्लैटिड फैक्टरी परिसर हैं। इसके अलावा 25 नॉन–कन्फर्मिंग औद्योगिक बस्तियों को विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के तहत लाने के लिए 28 मार्च 2011 को दिल्ली औद्योगिक विकास परिचालन और रखरखाव (डीआईडीओएम) अधिनियम 2010 अधिसूचित किया गया।

8.2 4 फ्लैटिड फैक्टरी परिसर सहित 33 अद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 24 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को सौंपे गए हैं। इन 24 औद्योगिक क्षेत्रों में से केवल 12 क्षेत्रों का लीज प्रशासन डीएसआईआईडीसी के पास है और शेष 12 औद्योगिक क्षेत्रों का प्रशासन डीडीए के पास (क्योंकि इन्हें अभी डीएसआईआईडीसी को स्थानांतरित नहीं किया गया है) है। इन 12 औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और विभिन्न प्रकार के जुर्माने/प्रभार लगाने का अधिकार डीडीए या संबंधित एमसीडी के पास है।

8.3 12 औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट/एफएफसी के लीज का प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से औद्योगिक स्टेट प्रबंधन संभाग डीएसआईआईडीसी देखता है। 13 वर्ष (2013–14 से 2026 तक) की अवधि के दौरान सभी प्रकार के प्रबंधन सेवा और विकास के लिए नरेला और बवाना क्षेत्र का प्रबंधन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी. पी.) मोड में डीएसआईआईडीसी द्वारा दो कंसेशनर्स के माध्यम से किया जा रहा है।

8.4 चार औद्योगिक क्षेत्रों–मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 और 2, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–3 और जीटीके औद्योगिक क्षेत्र में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का काम पूरा हो गया है। कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र और ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–3 (शेष कार्य) में कच्ची सड़कों के पुनर्विकास/निर्माण का दायित्व डीएसआईआईडीसी को सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

8.5 रिहायसी क्षेत्रों से उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए बवाना औद्योगिक क्षेत्र के फेज–2 का विकास डीएसआईआईडीसी द्वारा भोरगढ़ में 431.50 एकड़ के क्षेत्र में वर्ष 2010 में किया गया था।

8.6 भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संकुल विकास के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम–संकुल विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसई–सीडीपी) बनाई है। इस योजना के तहत अनुदान सहायता के लिए डीएसआईआईडीसी द्वारा आठ औद्योगिक क्षेत्रों/ फ्लैटेड फैक्ट्री की पहचान उन्नयन और पुनर्विकास के लिए की गई है। 6 औद्योगिक क्षेत्रों में पहले चरण का काम पूरा हो गया है और शेष 2 औद्योगिक क्षेत्रों (मुंडका–उत्तरी और नेताजी सुभाष विहार, टिकरी कलां) में काम जारी है।

9. नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में औद्योगिक समूहों का विकास

9.1 दिल्ली मास्टर प्लान 21 की अधिसूचना के बाद तीन वर्ष के अंदर 25 नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों के संबंधित सोसायटी / संघ द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाना था। इस योजना में स्थानीय निकायों द्वारा लेआउट योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन पर सब्सिडी देना शामिल है।

9.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के रोजगार बजट प्रस्ताव के अनुरूप नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में अधिसूचित औद्योगिक/गोदाम क्लस्टरों की पुनर्विकास के लिए मंत्रीपरिषद ने एक लेआउट योजना बनाने का फैसला किया है।

9.3 उद्योग विभाग/डीएसआईआईडीसी ने आर्किटेक्ट सलाहकारों की नियुक्ति और इन क्षेत्रों के संघों से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमसीडी को पुनर्विकास लेआउट योजना जमा करने की समय सीमा 31 मई, 2024 निर्धारित की गई है।

10. दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी)

10.1 दिल्ली वित्त निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नई औद्योगिक इकाईयां और साथ ही वर्तमान इकाईयों को शिफ्टिंग, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण और पुनर्वास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बिजली की कम खपत और उत्पादन की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए इन इकाईयों को प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों इत्यादि के लिए भी ऋण दिया जाता है। डीएफसी छोटे सड़क परिवहन संचालकों को वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी ऋण देता है। डीएफसी, दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने के लिए ऋण देकर औद्योगिक इकाईयों को नए स्थान पर लगाए जाने में भी मदद करता है।

10.2 पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निगम के प्रदर्शन से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 10.7

दिल्ली वित्त निगम का कार्यनिष्पादनः वर्ष 2018–19 से 2022–2023 तक

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूरी	संवितरित राशि
2018-19	0.80	0.79
2019-20	0.87	0.15
2020-21	0.17	0.58
2021-22	3.31	2.79
2022-23	0.12	0.12

स्रोतः उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

11. स्व–वित्तयोजना के तहत शेड्स

डीएसआईआईडीसी ने स्व–वित्तयोजना के अंतर्गत भी 456 औद्योगिक शेड्स का निर्माण निम्नांकित स्थलों पर किया है।

विवरण 9.8

स्व वित्तयोजना के तहत औद्योगिक शेड्स

क्र सं	परिसर का नाम	शेड्स की संख्या	स्वीकृत उद्योग
1.	कीर्ति नगर पैकिंग परिसर	226	टिम्बर और पैकिंग से संबंधित
2.	मंगोलपुरी इंजीनियरिंग परिसर	94	लाइट इंजीनियरी
3.	ओखला कम्प्यूटर परिसर	31	कम्प्यूटर से संबंधित
4.	रोहतक रोड औद्योगिक परिसर	105	सामान्य

स्रोतः उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

12. साझा बहिस्राव अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डीएसआईआईडीसी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), के सहयोग से इस परियोजना का निष्पादन किया है। डीएसआईआईडीसी ने वजीरपुर, मंगोलपुरी,

लारेंस रोड, नरेला, बवाना, झिलमिल, बादली, मायापुरी, नांगलोई, ओखला, जीटीए औद्योगिक क्षेत्र, अशोक नगर, एसएमए राजस्थानी उद्योग नगर, जहांगीर पुरी और नारायणा में 13 सीईटीपी का निर्माण पूरा किया है।

13. खतरनाक कचरा प्रबंधन केंद्र का गठन

डीपीसीसी ने पूरी परियोजना– शोधन, भंडारण और निस्तारण केंद्र (टीएसडीएफ) के लिए बवाना में सुरक्षित कूड़ास्थल (एसएलएफ) भट्ठी (23–02–2026 तक वैध) की मंजूरी 04–03–2022 को दी थी। टीएसडीएफ केंद्र पूरी तरह कार्यरत है।

14. दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी)

डीकेवीआईबी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन 1983 में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 का विस्तार करके किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य खादी और ग्राम उत्पादों बढ़ावा देना और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। दिल्ली के. यह निम्नलिखित दो रोजगार सृजन योजनाएं लागू करता है–

क. **राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना** (आरजीएसआरवाई)– यह योजना वैयक्तिगत उद्यमियों, व्यापार पेशेवरों, कारीगरों इत्यादि को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत तीन लाख रूपए की वित्तीय सहायता ऋण रूप में परियोजना लागत के 15 प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रदान की जाती है,, जो प्रति उद्यमी 75,00 रुपए तक होनी चाहिए।

विवरण 9.9
आरजीएसआरवाई की प्रगति

क्र.स.	मद	उपलब्धियां	
		2021-22	**2022-23**
1.	लक्ष्य		
	क.) मामलों की संख्या	25	08
	ख) राशि (लाख रुपए में)	78.00	21.00
2.	वितरित /वित्तपोषित मामलो का ब्यौरा		
	क.) मामलों की संख्या	15	05
	ख) वितरित राशि (लाख रुपए में)	38.85	13.95

स्रोतः उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

ख. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** विनिर्माण क्षेत्र के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50.00 लाख रु. और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रु.है। यदि कुल परियोजना लागत इन सीमाओं से अधिक है, तो शेष राशि बैंकों द्वारा बिना किसी सरकारी सब्सिडी के प्रदान की जा सकती है। पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। ब्योरा इस प्रकार है :

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां	लाभार्थियों का अंशदान (परियोजना लागत का)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की)	
क्षेत्र (परियोजना स्थल/इकाई)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक/महिलाएं/पूर्व सैनिक इत्यादि)	05%	25%	35%

स्रोतः उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

नोट :–

क) लाभार्थियों की पहचान कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वरा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित 'आपदा' से प्रभावित घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं/घटनाओं से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ख) दिल्ली में वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान पीएमईजीपी के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों और लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण 9.10
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य		बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	
		संख्या	मार्जिन राशि	संख्या	राशि (मार्जिन राशि)
1.	2021-22	104 01*	326.65 12.55*	केवीआईबी 52 केवीआईसी 45 कुल **97**	केवीआईबी 102.51 केवीआईसी 192.10 कुल **294.61**
2.	2022-23	91 01*	286.94 9.74*	केवीआईबी 18 केवीआईसी 54 कुल **72**	केवीआईबी 97.81 केवीआईसी 373.32 कुल **471.13**

स्रोतः उद्योग विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

* *वर्तमान पीएमईजीपी इकाई (एक परियोजना) के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण।*

ग) **विपणन गतिविधियां/प्रदर्शनीः** इसके अलावा, डीकेवीआईबी कारीगरों/व्यक्तिगत उद्यमियों को विपणन मंच प्रदान करता है। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयों से रद्दी/खरपतवार सामग्री एकत्र करना भी शुरू कर दिया है।

15. नए औद्योगिक क्षेत्रों/केंद्रों का विकासः

15.1 रानीखेड़ा, मुंडका में बहु–स्तरीय विनिर्माण केंद्र का विकासः

रानीखेड़ा– मुंडका में 147 एकड़ से भी अधिक जमीन पर बहुमंजिली इमारतों के साथ विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी पार्क के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना से लगभग डेढ लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 13 लाख 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

डीएसआईआईडीसी निर्माण गतिविधियां शुरू करने से पहले रा.रा.क्षे.दि.स. से परियोजना की स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

15.2 बपरौला दिल्ली में डेटा सेंटर की स्थापना

रा.रा.क्षे.दि.स. ने स्टार्टअप और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों दोनों के लिए निर्मित स्थान की पेशकश करके दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बापरोला में खाली भूमि को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में बदलने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, सरकार पड़ोसी राज्यों की नीतियों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

15.3 कंझावाला में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास

डीएसआईआईडीसी द्वारा कंझावाला में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2008 में लगभग 920 एकड़ जमीन ली गई। नए औद्योगिक क्षेत्र की योजना में किसानों द्वारा माननीय उच्च/जिला न्यायालय में दाखिल कानूनी भूमि विवाद को लेकर बाधा आई। मौजूदा समय में जमीन के मालिकाना हक को लेकर लगभग 30 एसएलपी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

16. कारोबार सुगमता

- कारोबार करने में भारत का प्रदर्शन दो शहरों –दिल्ली और मुंबई के आकलन पर आधारित होता है। दिल्ली में कारोबारी माहौल में सुधार के साथ भारत विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में उछाल के साथ 2017 के 130वें स्थान से 2020 में 63वें स्थान पर आ गया है। यह भारत जैसे विशाल और विविध किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कई व्यापार सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए नियामक व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाया जा रहा है और निवेशक अनुकूल व्यापारिक माहौल सृजित किया जा रहा है।

- डीबीआर 2020 में दिल्ली का प्रदर्शन, व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट और बिजली सुविधा प्राप्त करने और कर भुगतान के संदर्भ में मुंबई से बेहतर रहा है। मुंबई संपत्ति पंजीकरण संकेतक में दिल्ली से आगे रहा है।

17. व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संबर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) देश में व्यवसायिक और नियामक व्यवस्थाओं में सुधार के अपने प्रयासों के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना के माध्यम से कई सुधार लागू कर रहा है। यह सुधार राज्य सरकारों की भागीदारी से लागू किए जा रहे हैं और उद्योग विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीआरएपी के साथ सहयोग समन्वय कर रहा है।

- कारोबार सुगमता के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना 2014 में लागू की गई और अब तक पांच आंकलन संचालित किए जा चुके हैं। डीपीआईआईटी ने 2020 तक के रैंकिंग जारी कर दिए हैं। नवीनतम आंकलन के अनुसार दिल्ली 'उभरते व्यवसाय पारिस्थितकीय प्रणाली' श्रेणी के अंतर्गत है।

- बीआरएपी के तहत वर्तमान कार्य योजना 2022 में व्यवसाय और नागरिकों से संबंधित सुधार के बारे में 352 अनुशंसाय हैं। बीआरएपी 2022 के 352 सुधारों को दो भागों में बांटा गया है–

  कार्ययोजना–क में व्यवसाय संबंधी 261 सुधार हैं
  कार्ययोजना–ख में नागरिकों से संबंधित 91 सुधार हैं।
  बीआरएपीके तहत दिल्ली में लागू प्रमुख सुधारों में कुछ इस प्रकार है–

क. दिल्ली –केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (दिल्ली–सीआईएस)

ख. म्यूटेशन प्रक्रिया को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है।

ग. अद्यतन डेटा की रियल टाइम पहुंच के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है।

घ. साइनेज लाइसेंस एमसीडी द्वारा स्व प्रमाणन आधार पर दिए जाते हैं।

ङ निर्माण पूरा हो जाने के बाद एकल संयुक्त निरीक्षण।

च. दिल्ली (समयबद्ध सेवा आपूर्ति के लिए आपूर्ति संबंधित नागरिक अधिकार) अधिनियम लागू किए जाने के लिए ईएसएलए तंत्र विकसित किया गया है।

<u>नियामक अनुपालन अनिवार्यताओं को कम से कम करना (आरसी)</u>

कुल 552 अनुपालन कम किए गए हैं, 38 प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाया गया है। दिल्ली में इस संदर्भ में लागू किए गए प्रमुख सुधारों में कुछ इस प्रकार हैं:

क. **उद्यमियों के लिए शीघ्र समाधान–** उद्यमियों से संबंधित सेवाएं, लाइसेंस प्राप्त करना जैसे सामान्य व्यापार लाइसेंस, पशु चिकित्सा लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, तहबाजारी और हॉकिंग लाइसेंस इत्यादि प्राप्त करना सरल बनाया गया है।

ख. **ट्रांस्पोटरों के लिए सुगमता–** लाइसेंस, बस पास और अन्य लाइसेंस जारी करना ऑनलाइन सुलभ बनाया गया है।

ग. **आवश्यक कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी** – 16 अनुपालनों को सरल बनाकर, दिल्ली जल बोर्ड ने पानी और सीवर कनेक्शन (सभी नागरिकों और व्यवसायों द्वारा प्राप्त एक महत्वपूर्ण सेवा) प्राप्त करना बहुत आसान बना दिया है।

घ.. औषधि विक्रेताओं/निर्माताओं के लिए स्व प्रमाणन।

18. निर्यात प्रोत्साहन

रा.रा.क्षे.दि.सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के माध्यम से प्रत्येक राजस्व जिले के लिए अद्वितीय उत्पादों की पहचान की है। 08 जिलों ने अपने संबंधित ओडीओपी के लिए अग्रणी निर्माताओं/विक्रेताओं/नर्यातकों की पहचान की है। उत्पादों को बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए, उद्योग विभाग नवंबर 2023 में शाहदरा से शुरू होकर पश्चिम जिले तक विस्तार करते हुए सभी जिलों में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की योजना बना रहा है।

इसके अलावा, उद्योग विभाग निरंतर विकास, नवाचार और प्रतिबद्धता के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली निर्यात इकाइयों को मान्यता देने के लिए 2023 से 'राज्य निर्यात पुरस्कार' शुरू करने की योजना बना रहा है।

19. पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों, एफपीओ/एसएजी/सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना नामक एक योजना शुरू की। दिल्ली में यह योजना डीएसआईआईडीसी के माध्यम से लागू की गई है। दिल्ली में योजना का फंडिंग पैटर्न केंद्र, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश– 60:40 है। 150 आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत हैं तथा 122 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं।

20. स्टार्ट अप को बढ़ावा

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भारत में एक शीर्ष केंद्र के रूप में पहचान अर्जित करते हुए नवाचार और स्टार्टअप को प्राथमिकता देती है। इसके लिए उसने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उभरते उद्यमियों को विविध सहायता प्रदान करके एक अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। यह नीति निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को पूरा करने के लिए बनाई गई है:

शिक्षा और शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव (विद्युत वाहन, ऑटोनोमस कार और संबंधित वाहन), व्यवसायों और नागरिकों को जोड़ने के लिए ई–प्रशासन, फिनटेक, ई–कचरा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, हरित प्रोद्योगिकी, जैव–फार्मा और चिकित्सा उपकरण, आईटी और आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर एज–ए–सर्विस, जैव प्रोद्योगिकी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, हाइड्रोजन जैसे उभरते ऊर्जा क्षेत्र इत्यादि। इस नीति के तहत अन्य के अलावा निम्न योजना बनाई गई है।

1. **बुनियादी ढांचा और सहयोग** जैसे इन्क्यूबेटर हब नेटवर्क, अनुसंधान और विकास केंद्र, फैब्रिकेशन लैब नेटवर्क और सह कार्यक्षेत्र नेटवर्क और एक स्टार्टअप पोर्टल विकसित करना जो दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत जानकारी और प्रोत्साहन मांगने वाले लोगों, स्टार्टअप उद्यमों और इन्क्यूबेटर के लिए एक स्थल पर सहयोग उपलब्ध करा सके।

2. **जागरूकता और पहुंच–** दिल्ली सरकार लोगों के बीच उद्यमिता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए शहरवार आयोजन जैसे स्टार्टअप उत्सव और हैकेथॉन का आयोजन करती है। स्टार्टअप प्रणाली को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

21. पुनर्विकास के लिए अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में औद्योगिक क्लस्टरों की अधिसूचना

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित औद्योगिक क्लस्टर अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

21.1 दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुरूप नॉनकंफर्मिंग क्षेत्र में गोदाम–क्लस्टर के पुनर्विकास के लिए मुंडका (उत्तर) को अधिसूचित किया गया।

21.2 नेताजी सुभाष विहार, टिकरी कलां को दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत शामिल प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किया गया।

22. पीएम गति शक्ति एनएमपी

रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार का उद्योग विभाग, बीआईएसएजी–एन और अन्य हितधारक विभागों के साथ समन्वय करके पीएम गति शक्ति पोर्टल पर आवश्यक परतों को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, इसने पहले से ही प्रशासनिक संरचनाएं बनाई हैं, यानी, सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस), नेटवर्किंग योजना समूह (एनपीजी), और तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू)। भूमि राजस्व सहित 28 डेटा परतों को पीएम गति शक्ति एनएमपी पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है।

अध्याय एक नजर में

➢	दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हैं और राज्य सरकार ने पुनर्विकास के लिए 25 नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।.
➢	नीति आयोग के अनुसार 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021–22' में दिल्ली देश में फ्रंट रनर श्रेणी में आती है।
➢	दिल्ली की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उप–क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है।
➢	दिल्ली में कुल 3,93,877 एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें 3,65,849 सूक्ष्म उद्यम, 25,091 लघु और 2,937 मध्यम उद्यम शामिल हैं।
➢	दिल्ली के कारोबारी माहौल में सुधार के कारण, भारत को विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2020 में डीबीआर 2017 में 130 से 63 वें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली है, जो भारत जैसे आकार के किसी भी बड़े और विविध देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

➢	भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों, एफपीओ/एसएजी/सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना नाम से एक योजना शुरू की थी।
➢	दिल्ली सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उभरते उद्यमियों को विविध सहायता प्रदान करके एक अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है।
➢	दिल्ली सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के माध्यम से प्रत्येक राजस्व जिले के लिए अद्वितीय उत्पादों की पहचान की है। 08 जिलों ने अपने संबंधित ओडीओपी के लिए अग्रणी निर्माताओं/विक्रेताओं/निर्यातकों की पहचान की है